

## कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक: एन0टी0सी0पी0 / DLCC/2022-23 / 442

दिनांक 07.05.2022

1. पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।
2. बिक्री कर अधिकारी, पिथौरागढ़।
3. जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।
5. जिला पंचायती राज अधिकारी, पिथौरागढ़।
6. खण्ड विकास अधिकारी, विण/मूनाकोट पिथौरागढ़।
7. जिला सूचना अधिकारी पिथौरागढ़।
8. जिला पर्यटन अधिकारी पिथौरागढ़।
9. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।
10. सदस्य क्षेत्र पंचायत, पिथौरागढ़।
11. ब्लाक प्रमुख, समस्त विकासखण्ड पिथौरागढ़।
12. बालाजी, सेवा संस्थान एन0जी0ओ0 देहरादून।

विषय- राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशोध उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियम) अधिनियम 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान का प्रतिशोध तथा धारा 6 के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थानों के परिसर के 100 गज के दायरे तक सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय का प्रतिशोध किया है। धारा 4 व धारा 6 को प्रभावी बनाने एवं समीक्षा के लिये जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के अनुमोदन के उपरान्त जिला स्तरीय तथा ब्लाक स्तरीय अधिकारियों की **District Level Coordination Committee (DLCC)** की बैठक दिनांक 11.05.2022 समय अपराह्न 12:30 बजे स्थान जिला कार्यालय, समागार पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत की गई है।

अतः आप समस्त उपरोक्तानुसार ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
पिथौरागढ़।

पत्रांक: एन0टी0सी0पी0 / DLCC/2022-23 /  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

तददिनांक

1. महानिदेशक, चि0स्वा0प0क0 उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मिशन निदेशक, रा0स्वा0मिशन उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
पिथौरागढ़।